लोक स्वराज्य सम्मेलन सेवाग्राम में सम्पन्न

लोक स्वराज्य मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन सेवाग्राम आश्रम, महाराष्ट्र म 29 मार्च तक चार दिनों तक चला। सम्मेलन में मंच के सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रित अतिथियों के रूप में श्री गंगा प्रसाद अग्रवाल, श्री ठाकुरदास जी बंग, श्री बालविजय भाई, श्री कमल टावरी I.A.S. साधु समाज के सचिव पदीप दास जी, महंत सेवक शरण जी, मधुसूदन जी अग्रवाल गोन्दिया जल कुमार मसंद रायपुर सहित करीब डेढ़ सौ लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन पूरे चार दिन चला जिसमें चर्चा का समय कुल मिलाकर साढ़े बयालीस घंटे का रहा। सम्मेलन का प्रारभ श्री राधाकृष्ण जी बजाज द्वारा धरती माता के प्रतीक ''ग्लोब को माला पहनाकर किया गया। सम्मेलन में पहले दिन पहले सत्र में व्यवस्था परिवर्तन क्यों तथा दूसरे सत्र में निम्न प्रस्ताव पारित हुए।

1. वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। वर्तमान व्यवस्था को प्री तरह बदल देना चाहिए।
2. भारत में वर्तमान अव्यवस्था लोकतंत्र के दुष्परिणाम हैं। लोक स्वराज्य प्रणाली लोक तंत्र का अच्छा विकल्प है। लोकतंत्र के स्थान पर लोक स्वराज्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

दूसरे प्रस्ताव पर लोक स्वराज्य लोकतंत्र का विकल्प बने इस पर बहुत लम्बी चर्चा हुई। चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से लोकतंत्र के विकल्प के रूप में लोक स्वराज्य की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई।

दूसरे दिन महंगाई, गरीबी, आरक्षण, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, शोषण, आर्थिक असमानता, अपराध, चरित्र पतन, शिक्षा नैतिकता आदि विषयों पर गंभीर विचार मंथन हुआ। लंबी चर्चा उपरान्त तय किया गया कि समाज में इन सभी विषयों पर वैचारिक बहस चलाने का प्रयास किया जाए जिससे धार्मिक अथवा राजनैतिक रूप से पेशेवर लोग इनका भावनात्मक उपयोग न कर सके।

तीसरे दिन इस बात पर चर्चा हुइ कि लोक स्वराज्य प्रणाली की स्थापना हेतु लोक स्वराज्य मंच की कितनी आवश्यकता है। लंबी चर्चा उपरान्त तय हुआ कि लोक स्वराज्य मंच अपना काम करता रहे किन्तु इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर एक वर्ष बाद विचार किया जाये।

चौथे दिन पहले सत्र में लोक स्वराज्य मंच की कार्यकारिणी पर विचार हुआ। निम्नलिखित निष्कर्ष निकले–

1. लोक स्वराज्य मंच जनमत जागरण तक सीमित होगा। मंच अपना समयबद्ध जन जागरण इस गति से चलायेगा कि दो हजार सात तक स्पष्ट परिणाम दिखाई दें।

2. किसी भी स्थिति मे कोई कानून नहीं तोड़ा जाएगा।

3. स्वराज्य समर्थकों और सुराज्य समर्थकों के बीच वैचारिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाएगा। जो लोग सुराज्य के प्रयास में लगे हैं या प्रयास कर रहें हैं उनसे स्पष्ट दूरी बनाकर रखी जाएगी।

4. तीन नारे प्रचलित किये जायेंगे –

1. हमें सुराज्य नहीं, स्वराज्य चाहिये।
2. नेता बेलगाम (या बेईमान) हैं, सन्तगुरू नाकाम हैं।
   हम सब आज गुलाम हैं, अपराधी खुलेआम हैं,
   अब स्वराज्य का नारा दो, हम पर राज्य हमारा हो।
3. लोकतंत्र का विकल्प, लोक स्वराज्य
   लोक स्वराज्य अपनाइये, लोकतंत्र से मुक्ति पाइये।

5. लोक स्वराज्य मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन इस प्रकार हुआ

1.	श्री आर्यभूषण जी भारद्वाज,	नई दिल्ली	अध्यक्ष ।
2.	श्री अखिलेश जी आर्येन्दू	दिल्ली	उपाध्यक्ष ।
3.	श्री महंत प्रदीप दास जी ,	ऋषिकेश	उपाध्यक्ष ।
4.	श्री अर्पित अनाम	अम्बाला	उपाध्यक्ष ।
5	श्री भगवान लाल बंशीवाल	राजस्थान	उपाध्यक्ष ।
6.	श्री के.विनोद कुमार सिंह	इम्फाल	उपाध्यक्ष ।
7.	श्री कैलाश कुमार साहू	मधुबनी	उपाध्यक्ष ।
8.	श्री बहादुर सिंह यादव	बदायूँ	उपाध्यक्ष ।
9.	श्री दुर्गा प्रसाद जी आर्य	गुजरात	उपाध्यक्ष ।
10.	श्री पंचानन पाठक	गोपालगंज	उपाध्यक्ष ।
11.	श्री मुकेश रावल,	गुजरात	सचिव ।
12.	श्री बजरंगलाल अग्रवाल	रामानुजगंज	उपाध्यक्ष ।

अब तक कार्य कर रही चौहत्तर लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी म निम्नांकित नाम और शामिल किये गये हैं –

01.	श्री सरयूकान्त झा	रायपुर।
02.	श्रीमतो सुमित्रा कुलकर्णी	हैदराबाद।
03.	श्री अशोक काबरा जी	वर्धा।
04.	श्री खुशोराम अग्रवाल	सीतापुर।

05. श्री बाबूलाल जी माल मंदसौर ।
06. श्री सुरेशचंद्र त्यागी गोपालगंज।
07. श्री प्रमोद कुमार वात्सल्य ऋषिकेष ।
08. श्री योगेश चौधरी जलगॉव ।
09. श्री अभिषेक अज्ञानी भोपाल ।

अंतिम सत्र में सर्व सम्मति से तय किया गया कि –

01. सितम्बर 2003 की एक से तीस तारीख तक ठाकुरदासजी बंग के नेतृत्व में आयाजित तिरूअनन्तपुरम् (केरल) से कश्मीर तक की एक माह की लोक स्वराज्य यात्रा में लोक स्वराज्य मंच पूरी तरह शामिल रहे। श्री बजरंग लाल जी स्वयं पूरे माह साथ रहेंगे।
02. दो हजार चार की पहली छमाही में तीन माह की पूरे देश में विकल्प यात्रा का आयोजन किया जाये। इस यात्रा की रूपरेखा आठ जून का ऋषिकेष में आयोजित उपाध्यक्षों की बैठक में किया जाए।

उक्त निर्णय के पश्चात् श्री अखिलेश आर्येन्दू जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा सम्मेलन समाप्त हुआ।

सम्मेलन में उपस्थित साथियों तथा विद्वानों में से कुछ प्रमुख लोगों की सूची –

1 श्री जय शंकर कुमार, बेगूसराय, बिहार
1. श्री सिया शरण जी, नालंदा, बिहार
2. श्री सुरेशचंद्र पांडे, गोपालगंज बिहार
3. श्री पंचानन पाठक, गोपालगंज, बिहार
4. श्री महेश भाई, गोपालगंज, बिहार
5. श्री दिनेशचंद छपना, गोपालगंज, बिहार
6. श्री शालोग्राम शास्त्री, गोपालगंज बिहार
7. श्री निगम प्रसाद सामवेदी, पटना, गोपालगंज, बिहार
8. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, गोपालगंज, बिहार
9. श्री कैलाश कुमार साहू, मधुबनी, गोपालगंज बिहार
10. श्रीमतो वीणा देवी साहू, मधुबनी, गोपालगुंज बिहार
11. श्री एम.एस.सिंगला, अजमेर, राजस्थान
12. श्री भगवानलाल बंशीलाल, राजसमन्द, राजस्थान
13. श्री मोक्षराज जी अजमेर, राजसमन्द, राजस्थान
14. श्री आर.एन. सिंह जी अजमेर
15. श्री सियाराम साहू, दूर्ग, छत्तीसगढ़
16. श्री चम्पालाल साहू, बस्तर, छत्तीसगढ़
17. श्री जलकुमार मसंद, रायपुर
18. श्री पन्थराम वर्मा, दुर्ग
19. श्री सरयूकान्त झा, रायपुर
20. श्री सुचन्द तिवारी, पेन्ड्रा , छत्तीसगढ़
21. श्री लोकनाथ वर्मा दुर्ग, रायपुर
22. श्री अश्विनी तिवारी, दुर्ग, रायपुर
23. श्री दशरथ प्रसाद शुक्ल, दुर्ग, रायपुर
24. श्री जीवराखन साहू ,दुर्ग, रायपुर
25. श्री खुशीराम अग्रवाल, सीतापुर, रायपुर
26. श्री रामसेवक गुप्त ,रामानुजगंज, छत्तीसगढ़
27. श्री सेवक शरण जी हितकिंकर, वृंदावन, उ.प्र.
28. श्री कृष्णचंद सहारा, आगरा, उ.प्र.
29. श्री बाबूलाल माली, मन्दसौर, म.प्र.
30. श्री डा. गुरूशरण ग्वालियर, म.प्र.
31. श्री बद्री प्रसाद मित्तल , ढोढर, म.प्र.
32. श्री श्रीराम बिलासजी पारवाल भोपाल
33. श्री प्रीति पोरवाल, भोपाल, म.प्र.
34. श्री अभिषेक अज्ञानी, भोपाल, म.प्र.
35. श्री दुर्गा प्रसाद आर्य, टीकमगढ, म.प्र.
36. श्री सीमाराम मेश्राम, बालाघाट, म.प्र.
37. श्री सुनील एक्का राजघाट, नई दिल्ली
38. श्री ओमप्रकाश दुबे, राजघाट, नई दिल्ली
39. श्री रमेशचन्द्र भ्राता, राजघाट,नई दिल्ली
40. श्री अखिलेश आयेन्दू, राजघाट, नई दिल्ली
41. श्री आर्य भूषण भारद्वाज, राजघाट, नई दिल्ली
42. श्री कमल टावरी, राजघाट, नई दिल्ली
43. श्री के. बिनोद, कुमार सिंह, इम्फाल
44. श्री निशिकान्त शर्मा, मणिपुर
45. श्री ओ.पी. कपूर ऋषिकेश, उत्तरांचल
46. श्री महन्त प्रदीप दास ऋषिकेश, उत्तरांचल
47. श्री प्रमोद कुमार वात्सल्य, उत्तरांचल
48. श्री कामेश्वर बहुगुणा, देहरादून, उत्तरांचल
49. श्री अर्पित अनाम अम्बाला, हरियाणा
50. श्री नरेन्द्र चौधरी अम्बाला, हरियाणा
51. श्री ईश्वर चन्द्र द्विवेदी, जमशेदपुर, झारखंड
52. श्री योगेश चौधरी जलगॉव, महाराष्ट्र
53. श्री सत्यप्रकाश भारत, अमरावती, महाराष्ट्र
54. श्री मधुसूदन अग्रवाल, गोन्दिया, महाराष्ट्र
55. श्री ठाकुर दास जी बंग, वर्धा, महाराष्ट्र
56. श्री राधाकृष्ण जी बजाज, वर्धा, महाराष्ट्र
57. श्री बाल विजय भाई, वर्धा, महाराष्ट
58. श्री शिवशंकर पे, वर्धा, महाराष्ट्र
59. श्री रविशंकर शर्मा, वर्धा, महाराष्ट्र
60. श्री अखिलचंद पण्डया, वर्धा, महाराष्ट्र
61. श्री नारायण जाजू, वर्धा, महाराष्ट्र
62. श्री उल्लास जाजू, वर्धा, महाराष्ट्र
63. श्री नन्दलाल काबरा, वर्धा, महाराष्ट्र
64. श्री केशव शंकर राव बीदर, कर्नाटक
65. श्रीमति सुमित्रा कुलकर्णी, हदराबाद, आन्ध्र

इराक पर अमरीकी आकमण का औचित्य

इस लेख का प्रारम्भ मैं अपने पड़ोस की एक कहानी से करता हूँ, जिसमें मेरा पड़ोसी अपनी पत्नी और बच्चों पर बहुत अत्याचार करता है। उन्हें खाना भी कम देता है और मारपीट भी करता है। यहॉ तक कि उन्हें दूसरों से बात तक नहीं करने देता। उसी मुहल्ले का एक दादा किस्म का आदमी बार–बार मुहल्ले के लोगों से कहता है कि इसे पीटकर दबाया जाय लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। उस दादा ने अकले ही उस व्यक्ति की पिटाई करनी शुरू कर दी तो मुहल्ले के लोगों ने यह कहकर उसका विरोध किया कि उसके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आज यह दादा उसके साथ कर रहा

है तो कल दूसरों को भी दबा सकता है। पूरे मुहल्ले ने दादा के विरूद्ध आवाज उठाई किन्तु सबकी आवाज के बाद भी उसने मारपीट को निर्णायक दौर में पहुॅचा दिया।

यही कहानी अक्षरशः इराक और अमरीका की है। इराक का राष्ट्रपति पूरी तरह तानाशाह था। वहॉ के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। अपने शासन काल में सद्दाम ने कितने लोगों को मरवाया यह गिना नहीं जा सकता। आम नागरिकों के जीवन स्तर से उसके ऐशो–आराम की तुलना अनावश्यक सी है। न तो वह प्रजातंत्र को मानता ही था, न ही उस पर आचरण ही करता था। जब भी उसे समय मिला, उसने अपने पड़ोसियों को भी धमकाया।

दूसरी ओर है अमेरिका, प्रजातंत्र के नाम पर दूरी दुनियॉ को अपनी मुट्ठी में रखने के सुनियोजित प्रयत्न में संलग्न है। अमेरिका प्रजातंत्र की ओट में ताकत और धन के बल पर दुनियॉ का मुखिया बनने को आतुर है। संयुक्तराष्ट्र संघ की भी उसे परवाह नहीं। साम्यवाद के पतन के बाद तो वह पूरी तरह निरंकुश होता जा रहा है। दुनियॉ के किसी भी देश म यह ताकत नहीं कि अमेरिका के विरूद्ध स्पष्ट आवाज उठा सके।

इराक के आम नागरिक सद्दाम से इतने भयभीत हैं कि वे उसकी इच्छा मात्र से ही उसका पूरा समर्थन करते हैं। सददाम पर उनका कोई नियंत्रण नहीं। सद्दाम को नागरिकों के समर्थन की कोई आवश्यकता भी नहीं। दूसरी ओर अमेरिकी नागरिकों का वहॉ की सरकार पर नियंत्रण हैं। सरकार नागरिकों की भावनाओं से डरती है। साथ ही वहॉ के नागरिक राष्ट्रवाद का अन्धानुकरण करने वाले नहीं। वे अमेरिका की गलत कार्यवाही का विरोध भी करते हैं और ऐसे आंतरिक विरोध का पूरा महत्व भी है।

यदि अमेरिका इराक युद्ध पर वियार करें तो सद्दाम के विरूद्ध अमेरिका ने आक्रमण निश्चित कर लिया था। यदि और देश साथ देते तो उसके प्रजातांत्रिक चेहरे की सुरक्षा होती अन्यथा अन्त में उसने प्रजातंत्र के मुखौटे को उतारकर भी आक्रमण कर ही दिया ।

यहॉ कई बाते विचारणीय हैं – **1.** दुनियॉ के किसी व्यक्ति के न्याय और सुरक्षा का दायित्व समाज (विश्व व्यवस्था) का है या राष्ट्र का। यदि कोई राष्ट्र किसी व्यक्ति पर अन्याय करे तो विश्व की भूमिका क्या हो? मेरे विचार में ऐसी एक विश्व व्यवस्था होनी चाहिये जो प्रत्येक नागरिक का न्याय आर सुरक्षा की गारंटी दे। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ कोई व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सका है। वह तो सिर्फ समझौता मात्र तक सीमित है। दूसरा प्रश्न उठता हैं कि ऐसी विश्व व्यवस्था के अभाव में किसी देश द्वारा इस दिशा में की गई पहल को हस्तक्षप मानना चाहिये या नहीं। मेरे विचार में यह प्रश्न विवादास्पद हैं। न तो इसमें सीधे तोर पर हॉ कह सकते हैं न ही ना। यह बात निर्विवाद रूप से सही है कि राष्ट्रपति सद्दाम उस देश के नागरिकों को विश्व समुदाय के व्यक्ति नहीं मानते थे। वे तो उन नागरिकों को अपने देश का नागरिक मानने तक सीमित थे। दुनियॉ के अन्य देशों ने अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी इराक के लोगो के प्रति अपना दायित्व नहीं समझा। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ सक्रिय भी हुआ तो वह अमेरिका को रोकने के उद्धेश्य से। न कि इराक की जनता की मुक्ति के लिये। इस तरह इराक की जनता की मुक्ति के लिये दुनियॉ को कोई विश्व व्यवस्था बनी ही नहीं। और जो व्यवस्था नाम मात्र की बनी भी है, वह इस मामले में पहल करने में नाकाम रही।

किन्तु जिस तरह विश्व व्यवस्था के अभाव का लाभ उठाकर अमेरिका उस अभाव के स्थान पर स्वयं को स्थापित कर रहा हैं वह भी तो खतरनाक नहीं है। यदि एक दो स्थानों पर अमेरिका ने और ऐसी पहल कर दी तो दुनियॉ में बिना बनाये ही अमेरिका विश्व व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण कर लेगा, और वह दिन तो इराक की आंतरिक स्थिति से भी अधिक खतरनाक होगा। अतः विश्व समुदाय के समक्ष सीधा संकट है कि वह ऐसी विकट परिस्थिति में अमेरिका को कैसे रोके।
मेरे विचार में अमेरिका को रोकने का जो प्रयास इराक युद्ध के नाम पर हुआ वह तरीका पूरी तरह गलत था। अमेरिका ने अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिये जिस इराकी तानाशाही उन्मूलन का सहारा लिया उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को स्वयं ही नेतृत्व करना चाहिये था और अमेरिका को आगे आने का मौका देना ठीक नहीं था। इस भूल का परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक बेमानी संस्था बन कर रह गई है, और अमेरिका का स्वरूप संयुक्तराष्ट्र संघ से उपर दिखने लगा है।

विश्व के अधिकांश दशों में अमेरिकी कार्यवाही के विरूद्ध प्रदर्शन हुए। भारत में भी हुए। राजबब्बर जी महेश भट्ट सरीखे कुछ अति उत्साही लोगों ने तो युद्ध के विरोध म इराक जाने तक की घोषणा की। साम्यवादियों का विरोध तो समझ में आता है कि वे अमेरिका के पारंपरिक विरोधी हैं। उन्होंने कुवैत युद्ध अथवा अफगानिस्तान युद्ध के समय भी अमेरिका की पेशेवर आलोचना की थी। इस युद्ध में तो उनके चुप रहने का कोई प्रश्न ही नहीं था। भारत के कुछ मुसलमानों ने विरोध किया वह भी समझ में आता है कि उन्होंने इराक पर आक्रमण को इसाईयों द्वारा इस्लाम को दबाने की मुहिम समझा। उन्होंने भी कुवैत और अफगानिस्तान युद्ध के समय सद्दाम या ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया था, किन्तु भारत के अन्य तटस्थ लोग विरोध पर उतरे यह विचारणीय प्रश्न है। क्या उन्हें यह स्पष्ट दिख रहा था कि एक शरीफ आदमी को किसी दादा द्वारा पीटा जा रहा है? मेरे विचार में ऐसा नहीं था। न तो सद्दाम समर्थन योग्य शासक थे न ही अमेरिका का समर्थन उचित था। भारत के तटस्थ लोगों को तटस्थ ही रहना चाहिये था, और भी अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब राष्ट्रपति सद्दाम ने इराक अमेरिका युद्ध को धम युद्ध मानकर जेहाद की घोषणा की और कहा कि इस्लाम खतरे मं है, इसलिये दुनियॉ भर के मुसलमानों को एकजुट होना चाहिये। कई जगह के मुसलमान इस्लाम की सुरक्षा के लिये गये भी, किन्तु भारत के राजबब्बर और महेश भट्ट सरीखे अनेक गैर मुस्लिमों का इस्लाम की सुरक्षा की आवाज पर इराक जाने का निर्णय समझ में नहीं आया। यदि इन्हें इराक पर आक्रमण अन्याय दिख रहा था तब भी सद्दाम ता न्याय की रक्षा के लिये दुनियॉ के न्याय प्रिय लागों की मदद नहीं मॉग रहे थे। सद्दाम इसे अमेरिका के इराक की संप्रभुता पर अन्यायपूर्ण आक्रमण न मानकर इसाईयों द्वारा इस्लाम पर आक्रमण घोषित करके जेहाद का आव्हान कर रहें है और हमारे देश के गैर मुसलमान इस झगड़े म तटस्थ न रहकर सद्दाम का पक्ष ले रहे हैं यह बात मेरे विचार में ठीक नहीं थी। यदि यह न्याय अन्याय के बीच युद्ध होता और सद्दाम का प्रश्न न्याय का होता तथा सद्दाम भी इसे न्याय– अन्याय के बीच युद्ध समझते तब तो न्याय पमियों की आवाज उठनी उचित थी, अन्यथा दो तानाशाहीं के बीच के ऐसे सत्ता संघर्ष जिसमें एक पक्ष ने इसे इसाई, इस्लाम युद्ध का स्वरूप दे दिया हो, तटस्थ लोगों का कूदना उचित नहीं दिखता।

भारत की संसद ने भी सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके अमेरिका की निन्दा की। सम्पूर्ण विश्व समझता था कि इस प्रस्ताव का कितना महत्व हैं। प्रस्ताव पारित करने वाले भी प्रस्ताव के गंभीर न होने के प्रति आश्वस्त थे। जिस समय फ्रांस, रूस, जर्मनी, अमेरिका पर लगाम कस रह थे उस समय तो भारत की भूमिका तटस्थ थी और जब युद्ध क परिणामों का आकलन करे रूस, फ्रांस और जर्मनी अपनी भाषा बदल रहे थे तब भारतीय संसद में निन्दा प्रस्ताव पारित करने का खिलवाड़ किया जा रहा था। जिस दिन भारत ने यह प्रस्ताव पारित किया उसके तीन दिन पूर्व ही रूस, फ्रांस और जर्मनी ने अपनी भाषा बदल ली थी और यह कहा था कि इस युद्ध म अमेरिका की विजय होना ठीक है। इसके बाद भी भारत ने निन्दा प्रस्ताव पारित किया। क्या हमें यह

पता नहीं था कि सद्दाम की तानाशाही इराक में निर्विवाद नहीं है? क्या हमें यह पता नहीं था कि दो तीन दिनों में ही सद्दाम का पतन बिल्कुल निश्चित है? क्या हमें यह पता नहीं था कि इराक में जो भी सरकार बनेगी वह अमेरिका विरोधी नहीं होगी और उस सरकार स भी हमारे मित्रवत् संबंध होंगे? यदि भारत की संसद इतना नहीं समझती थी तो उसे सत्ता का कोइ अधिकार नहीं है और यदि वे यह सब समझते थे तो उन्होंने सद्दाम के पतन के ठीक एक दिन पहले ऐसा प्रस्ताव क्यों पारित किया। सद्दाम के पतन के टी.बी. में इराक की सड़कों पर इराकियों को कष्ट न होकर उसम हल्की सी संतुष्टि दिखी। फिर हमारे सांसद इस बात को क्यों नहीं समझ सके। कल्पना कीजिये की कि इराक की नई निर्वाचित सरकार यह कह दे कि जब हम लाग सद्दाम की तानाशाही से मुक्ति के अन्तिम छाया में थे तब भारत हमारी मुक्ति के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित कर रहा था, तब भारत की स्थित कितनी हास्यास्पद होगी। मैंने यह कई बार दखा है कि भारत के प्रमुख लोग नाटक करने में बहुत तेज होते हैं। जो बड़े लोग अपने शहर के गुण्डे के विरूद्ध एक शब्द नहीं बोल पात वे अमेरिकी राष्ट्रपति के विरूद्ध नारे लगाते हैं या परवेज मुसरर्फ का पुतला जलाते हैं। ये सब नाटक हमारा महत्व कम करत हैं। दुनियॉ जानती है कि यदि भारतीय संसद के प्रस्ताव अमेरिका में गंभीर प्रतिक्रिया होती तो भारत ऐसा नहीं करता। जब हमारा विश्व में इतना ही वजन है तो हमें अपना वजन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये, न कि अनावश्यक प्रस्ताव।

अब भारत के कुछ मंत्रो यह कह रहें हैं कि हमें भी पाकिस्तान पर आक्रमण करने का इसलिये अधिकार है क्योंकि अमेरिका ने इराक पर किया। अपने नेताओं का यह वक्तव्य भी उतना ही गैर जिम्मेदारी का है जितना संसद का प्रस्ताव। तीन दिन पूर्व ही भारत की संसद ने एक सर्व सम्मत पस्ताव द्वारा इराक पर अमेरिकी आक्रमण की निन्दा की है और तत्काल ही आप अपने पाकिस्तान पर आक्रमण के औचित्य के पक्ष में वही तर्क दे रहें हैं। यदि न्याय की दृष्टि से इराक पर आक्रमण गलत था और अमेरिका ने वह गलत कार्य किया तो क्या अब आपका भी वहो गलत कार्य करना न्याय संगत होगा। इससे तो यही प्रमाणित होता है कि आपने अमेरिका को विश्व व्यवस्था का प्रतिरूप मान लिया। पाकिस्तान पर आक्रमण के अन्य चाहे जो भी कारण बताये जायें किन्तु इराक पर आक्रमण को ता आधार नहीं बनाया जाना चाहिये। भारत धीरे'–धीरे महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। उसे बचकानी हरकतों से उपर उठना चाहिये। भारत को प्रजातंत्र और तानाशाही के बीच या तो तानाशाही के विरूद्ध होना चाहिये या तटस्थ होना चाहिये किन्तु तानाशाही के समर्थन में तो कभी नहीं दिखना चाहिये। साथ ही अमेरिका की विस्तारवादी प्रवृत्ति के विरूद्ध गंभीर विश्व जनमत खड़ा करने का प्रयास करना चाहिये जैसा फ्रांस, जर्मनी, की सरकारें और इंग्लैण्ड को संसद में भी प्रयास हो रहा है।

मुझे खुशी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फास, जर्मनी आदि प्रजातांत्रिक देशों के आम नागरिकों में इराक युद्ध क पक्ष विपक्ष में वैचारिक युद्ध चला। किन्तु भारत की गिनती उन मुस्लिम राष्ट्रों में दिखाई दी जहॉ इराक युद्ध के पक्ष विपक्ष में वैचारिक बहस छिड़ने के स्थान पर इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर एक पक्षीय अमेरिकी विरोध की हवा चलाने का प्रयास हुआ आर यह हमारे भविष्य के लिये घातक हो सकता है।

प्रश्नोत्तर

1. डा. ओम प्रकाश भाटिया 'अराज' B2 B2 जनकपुरी नई दिल्ली 110058

आपके विचार निरंतर मंथन प्रकिया को राष्ट्रोय स्तर पर गति प्रदान कर रहें हैं। मैं भी चार महत्वपूर्ण सूत्रों पर आपके विचार जानना चाहता हूॅ। मेरे विचार में –

1. समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले व्यक्ति का घोर साम्प्रदायिक मानना चाहिये।
2. मजहब, जाति, विशेष वर्ग के आरक्षण अन्ततः राजनैतिक अव्यवस्था तथा सामाजिक विद्वेष मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
3. किसी व्यक्ति, ग्रन्थ अथवा मजहब को सम्पूर्ण मानने की जिद को पूर्वाग्रह कहते है। चिन्तन सदा स्वतंत्र होना चाहिये।
4. किसी पत्रिका में किसी लेखक के कोई विचार छापने पर उसका पूरा पता भी छापना चाहिये।

उत्तर – आपके चौथे सूत्र से मैं पूर्णतः तथा शष तीन से भी लगभग सहमत हूॅ। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। 1. विचार प्रधान 2. भावना प्रधान। प्रत्येक व्यक्ति में दोनों ही गुणों का समावेश होता है किन्तु मात्रा का फर्क होता है। दोनों के गण दोष पृथक पृथक होते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति में भावना की मात्रा जितनी अधिक होगी, उस व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। भावना प्रधान व्यक्ति निष्कर्ष निकालने में सफल नहीं होता। अतः वह किसी न किसी व्यक्ति का अनुसरण करता है। दूसरी ओर विचार प्रधान व्यक्ति निर्णय करने और निर्णय के अनुसार कार्य करने में पूरी तरह सफल होता है। यही कारण है कि समाज में जितने भी धूर्त होते हैं वे विचार प्रधान होते हैं, भावना प्रधान नहीं। ऐसे धूर्तो से समाज का छुटकारा भी विचार प्रधान लोग ही दिलवा सकते हैं, भावना प्रधान नहीं।

समाज में भावनात्मक मुद्दों के स्थान पर वैचारिक मुद्दों पर बहस छिड़नी समाज हित में हैं। विचार प्रधान लोग ऐसी बहस चलाना चाहते हैं और धूर्त या भावना प्रधान लोग ऐसी बहस नहीं चलने देना चाहते। धार्मिक मामलों में भी अधिकांश मजहबों के मुखिया ऐसे पेशेवर लोग हो गये हैं, जिनकी रोजी रोटी भावना प्रधान लोगों की भावनाऍ भड़का कर उन्हें संग्रहित रखने में निहित है। अतः ऐसे लोगों द्वारा हमेशा ही समान नागरिक संहिता का भी विरोध किया जाता है और वग समर्थित आरक्षण का समर्थन भी। ये लोग किसी भी महापुरूष के वचन या किसी पुस्तक के अंशो पर विचार की अपेक्षा श्रद्धा पर विशेष जोर देते हैं। ये स्वार्थी लोग पूरी तरह साम्प्रदायिक होते हैं तथा भावना प्रधान लोगों का कर्त्तव्य है कि वह ऐसे स्वार्थी तत्वों का स्वार्थ सिद्ध होने पर कानूनी रोक लगावे। समाज में पृथक–पृथक संगठन बनाकर वर्ग विद्वेष का प्रयास घातक है। मैं आपके तीनों निष्कर्षो से पूरी तरह सहमत हूॅ। रोकने के प्रयासों में कुछ अन्तर हो सकता है।

2.श्रीमतो शकुन्तला आर्य, नई दिल्ली

आपने महिलाओं के संबंध में अपने विचार ज्ञानतत्व के माध्यम से प्रस्तुत किये। क्या इससे महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार हो सकता है?

3. श्री सूबेदार धर्मसिंह, मोहम्मदपुर माजरा, झज्जर, हरियाणा, 1241133

आपने महिलाओं के संबंध में अपने विचार लिखे। आप जानते हैं हिन्दुओं में बहु विवाह प्रथा थो और मुसलमानों में अब भी है। हिन्दुओं ने बहु विवाह प्रथा को त्याग दिया जो उचित कदम था। किन्तु आज भी हिन्दुओं में तो बहुऍ जलती हैं और मुसलमानों नहीं। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दुओं में महिलाओं पर अब भी अत्याचार हाता है। आपने हर वर्ग में अच्छे और बुरे होने की बात की किन्तु हमें पहले अपनी बुराई पर उंगली उठानी चाहिये न कि दूसरो की बुराई पर।

4. श्री अनिल अनवर, 33 व्यास कॉलोनी, एयरफोर्स, जोधपुर 342011

महिलाओं के संबंध में आपका लेख गंभीर तथा विचार करने याग्य है। दहेज एक अच्छी व्यवस्था थी जिसमें पिता अपनी लड़की को विवाह के समय समुचित धन दिया करता था और भविष्य में लड़की का कोई कानूनी हिस्सा पिता के परिवार म नहीं होता था। ना समझ लोगों ने इस सामाजिक प्रथा का विरोध करके दहेज प्रथा को बदनाम किया आर दहेज को कन्या के माता पिता के लिये अभिशाप बना दिया। किन्तु उन्हीं लोगों ने फिर से कन्या के लिये माता पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति में हिस्सा की भी बात उठा दी। यह सब अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने की बातें हैं। दहेज एक सामाजिक व्यवस्था है। उसे किसी कानूनी प्रावधान स बचाना चाहिये।

05. श्रीमतो आरती चकवर्ती

महिलाओं के संबंध में आपके विचार कुछ पुरूषों के पक्ष में झुके हुए दिखे। प्राचीन समय में आय के साधन इकट्ठे करने में पुरूष ही पर्याप्त हुआ करते थे। महिलाएँ घर का काम भी करतो थीं और आराम भी करती थीं। परूष बाहर जाकर मनोरंजन कर आते थे। किन्तु आज हालत बिल्कुल बदल गई है। आज तो हालत यह है कि महिलाओं को भी आय के साधन जुटाने में शामिल होना उसकी मजबूरी है। अन्यथा घर का खर्चा ही नहीं चलेगा। मुझे स्वयं भी सरकारी नौकरी मजबूरी में करनी पड़ी है। दिन भर काम करके घर में घर का भी काम करना क्या अन्याय नहीं है? क्या इस अन्याय को रोकने के लिये कोई नियम नहीं बनना चाहिए? यदि महिलाएँ भी पुरूषों के समान ही बच्चों की चिन्ता न करें तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह भी आप सबने सोचा है? गंभीरता पूर्वक सोचकर कुछ नियम बनाने का प्रयास करें।

उत्तर — ऊपर में तीन पत्र उदाहरण मात्र हैं। ऐसे पचासों पत्र प्राप्त हुए है। जिनमें महिलाओं के शोषण को चित्रित किया गया हैं मैं भी दस पंद्रह वर्ष पूर्व ऐसा ही सोचा करता था किन्तु अनुसंधान के बाद जब निष्कर्ष निकले और उन निष्कषा के आधार पर महिलाओं की स्थिति को कसौटी पर कसा गया तो पूरा निष्कर्ष ही बदल गया। निम्न निष्कर्षो पर विचार करने की आवश्यकता है–

1. संगठन सर्वदा मजबूता से सुरक्षा तथा कमजोरों का शोषण करते हैं।
2. शोषण अपराध नहीं होता, अनैतिक होता है। अनतिक कार्यो की रोकथाम सामाजिक समस्या है, प्रशासनिक नहीं। प्रशासन को नैतिकता अनैतिकता में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। प्रशासन को अपराध नियंत्रण की सीमा रेखा से आगे नहीं बढ़ना चाहिये।
3. महिलाओं का कोई पथक वर्ग या संगठन नहीं हो सकता। तीन इकाईयां अचल हैं, और तीन संचल। व्यक्ति, परिवार और गॉव अचल हैं और जिला, प्रान्त और राष्ट्र सचल। इन सभी इकाईयों में तोड़ फोड़ करके कोई वर्ग या संगठन नहीं बनाया जा सकता।
4. प्रत्येक परिवार अपनी क्षमता और आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाकर आय के प्रयत्न करता ह। प्रत्येक परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं का मापदण्ड भिन्न–भिन्न होता है। समाज द्वारा भी न्यूनतम आवश्यकता का एक मापदण्ड बनाया जाना चाहिए। यह मापदण्ड इस आधार पर होना चाहिये कि वह किसी भी देश की कुल आबादी के पांच प्रतिशत से अधिक लोग उसमें न शामिल हों। उससे अधिक का मापदण्ड कमजोर लोगों क लिये अन्याय का आधार होता है। भारत की वर्तमान स्थिति में न्यूनतम आवश्यकताओं की अधिकतम सीमा रेखा प्रति व्यक्ति ढ़ाई हजार रूपया वार्षिक ही हो सकती है, अर्थात् पांच व्यक्तियों के एक परिवार के लिये एक हजार रूपया मासिक। इससे अधिक की मांग करने वाले कमजोर वर्ग की कीमत पर अपनी सुविधाओं चिन्ता करने के अपराधी हैं।
5. प्रवृत्ति व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वभाव होता है, वर्ग का नहीं। पुरूष अत्याचारी होता है यह कहना बिलकुल गलत है।
6. सम्पूर्ण भारत की वर्तमान व्यवस्था पूँजीपतियों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा श्रम और धनहीनों का शोषण करने का षड़यंत्र मात्र है, जो संगठन की सहायता से अपना उद्देश्य पूरा करती हैं।

उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर यह स्पष्ट है कि परिवारों में महिलाओं को शक्ति तभी मिल सकती है जब समाज में पुरूष प्रधान व्यवस्था को समाप्त करके व्यवस्था का कोई नया स्वरूप बने। मेरे विचार में परिवार के पारिवारिक मामलों में कानून का कोई हस्तक्षेप उचित नहीं। जबसे भारतीय संविधान ने हिन्दुओं में पारिवारिक मामला में हिन्दू कोड बिल बनाकर प्रवेश और हस्तक्षेप किया है तबसे हिन्दुओं में जलने जलाने की घटनाएँ बहुत बढ़ी है, जबकि मुसलमानों में नही बढ़ी। किसी धर्म या जाति की आन्तरिक कुरीतियों में शासकीय हस्तक्षेप सदा ही घातक होता है। यदि रोजगार में लगी महिलाओं की पारिवारिक कठिनाइयों की चर्चा करें तो पति पत्नी दोनों नौकरी करें या दोनों न कर यह उनका पारिवारिक मामला है। भारत में आज ऐसी स्थिति एक प्रतिशत से अधिक नहीं। बल्कि पांच दस प्रतिशत तक ऐसे भी लोग हो सकते हैं जहॉ पति पत्नी दोनों ही बेरोजगार हों। अतः मेरे विचार में पारिवारिक मामलों में शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

06. मो. यूनुस, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।

भारत में हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों के विरूद्ध जैसा विषय वमन किया जा रहा है वह हिन्दु मुस्लिम एकता के लिये घातक है। पिछले दिनों प्रवीण तोगड़िया तथा अशोक सिंघल ने मुसलमानों के लिये क्या क्या लिखा यह आप सबने पढ़ा होगा। मुझे दुख है कि आप भी इनके विरूद्ध कुछ नहीं लिखते।

उत्तर– प्रवीण तोगड़िया और अशोक सिंघल मुसलमानों के विरूद्ध जो भी विषय वमन कर रहे हैं उसके विरूद्ध आवाज उठाने वाले हिन्दुओं की संख्या बहुत बड़ी है। कुलदीप जी नैयर, प्रभाष जोशी, सर्वोदय परिवार, साम्यवादी तथा अन्य अनेक ऐसे संगठन हैं जो ऐसे साम्प्रदायिक विचारा का खुलकर विरोध करते हैं और फिर भी हिन्दू हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मेरा तो यहॉ तक मानना है कि जो व्यक्ति धर्म को संगठन का स्वरूप देना चाहता है, वह हिन्दू है ही नहीं।

किन्तु आप मुसलमानों के विषय में विचार करें तो जमायते इस्लामी के प्रमुख मौलाना अबुल आला मौद्दी के भाषण का इस विषय में प्रकाशित अंश पर क्या कहेंगे कि "इस्लाम कबूल करने वाले का यह पहला कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जेहाद शुरू कर दे जिसका अर्थ होता है गैर इस्लामी सत्ता को मिटाने की कोशिश तथा उसके स्थान पर शरीय शासन की स्थापना। मुसलमान सिर्फ धार्मिक प्रचारक ही नहीं है बल्कि खुदाई फौजदारों की जमात है।

इसी तरह सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब का भी एक बयान आया है कि इस्लाम से सिर्फ भावनात्मक लगाव रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सभी गैर इस्लामी दर्शनों, विचारों और आदशा से घृणा भी करनी चाहिये।(उपरोक्त दोनों उद्धरण वैचारिकी अंक सात की पृष्ठ 113 से लिये गये हैं।)

प्रश्न उठता है कि मुसलमानों मे से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो ऐसे विषय वमन का विरोध करते हैं। अशोक सिंघल तथा प्रवीण तोगड़िया के बयानों का विरोध करने वाले हिन्दुओं की संख्या यदि पचीस प्रतिशत होगी तो मौलाना अबुल आला या अबुल हसन के बयानों का विरोध, करने वाले मुसलमानों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम। मेरे सोच और धर्म निरपेक्ष हिन्दुओं की सोच में एक मौलिक अन्तर यह है कि मैं साम्प्रदायिकता के विरूद्ध हूँ चाहे वह हिन्दुओं की हो या मुसलमानों की। जबकि धर्मनिरपेक्ष लोग हिन्दू साम्प्रदायिकता के विरूद्ध तो मुखर हो जाते हैं और मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरूद्ध चुप हो तो हैं। मैं चाहता हूँ कि धर्म निरपेक्ष हिन्दू प्रवीण तोगड़िया जैसे कट्टरवादी तत्वों के बयानों की आलोचना में मुखर हों और धर्मनिरपेक्ष मुसलमान अब्दुल बुखारी सरीखें कट्टरवादी तत्वों के बयानों की आलोचना करें। किन्तु धर्म निरपेक्ष हिन्दू और धर्म निरपेक्ष मुसलमान दोनों ही साम्प्रदायिक हिन्दुओं की तो आलोचना करते हैं पर मुस्लिम साम्प्रदायिकता पर दोनों ही विशेष रूप से धर्म निरपेक्ष मुसलमान चुप हो जाते हैं। इससे विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

07. श्री गणेश राम पौराणिक252, उषानगर विस्तार, इन्दौर, म.प्र. 452009

आपने व्यवस्था परिवर्तन के लिये अब तक जो भी प्रयास किये वे बिल्कुल ठीक भी हैं तथा तर्कसंगत भी है। किन्तु भारत का सामान्य जन भावनाप्रधान होने से उनके समक्ष कोई ऐसा विषय प्रस्तुत करना होगा जो उन्हें तत्काल आकषित कर सके। गंभोर विचार विमर्श उनके समझ से बाहर होगा। साथ ही कर प्रणाली का भी कोई सुधरा हुआ रूप प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हमारी बहस कुछ पढ़े लिख तक सीमित हो सकती है।

उत्तर— वर्तमान सम्पूर्ण व्यवस्था के विकल्प के रूप में हम लोगों ने लोक स्वराज्य प्रणाली को प्रस्तुत किया है। यह बात शिक्षित लोग समझेंगे किन्तु सामान्य जन के लिये यह विषय कठिन होगा। लोक स्वराज्य प्रणाली के पक्ष में हम कोइ जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे। सिर्फ जन जागरण तक सीमित रहेंगे। जन आंदोलन के लिये दो मांगे शुरू की गई हैं –

1. सुरक्षा के अतिरिक्त पुलिस को जो भी दायित्व दिये गये हैं वे पुलिस विभाग से वापस लेकर या तो गाम पंचायतों को दे दें या अन्य संबंधित विभागों को दे दें। इससे सामान्य जन जीवन में पुलिस का हस्तक्षेप कम हो जायेगा। साथ ही दूसरे कामों का बोझ घटने से पुलिस की सुरक्षा के प्रति कार्यकुशलतमा बढ़ेगी।
2. रोटी, कपड़ा, दवा, वनोपज, साइकिल आदि सभी वस्तुऍ जो श्रमजीवी द्वारा उपयोग की जाती हैं या उत्पादन की जाती ह उन्हें पूरी तरह कर मुक्त कर दें। सभी तरह की सब्सीडी रोककर प्रति व्यक्ति ढ़ाई हजार रूपया प्रतिवर्ष की एक मुश्त और समान सब्सीडी की व्यवस्था करें।

इन दो मुद्दों को लोक आकर्षक और वास्तविक मानकर इन पर आगे आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है।

7. 2/1/4 घ प्रश्न श्री राम अवधेश मिश्र, बरेली, उत्तर प्रदेश।

अमेरिका ने बिना राष्ट्र संघ की अनुमति या सहमति के ही इराक पर आक्रमण कर दिया । उसने सद्दाम से दुनियॉ की सुरक्षा करने के नाम पर युद्ध प्रारंभ किया। प्रश्न उठता है कि अमेरिका को दुनियॉ का पुलिसमैन बनने का अधिकार किसने दिया? अपनी मर्जी से दुनियॉ की सुरक्षा के नाम पर युद्ध करना कहॉ तक उचित था? जब अमेरिका दादागिरी पर आ गया तो सद्दाम के लिये क्या करना उचित था। युद्ध में इराक के हजारों बेगुनाह लोग मारे गये इसका दोष अमेरिका पर कितना होना चाहिये?

उत्तर — यदि इराक और अमेरिका के घटना क्रम पर नजर डालें तो न तो इराक की जनता ने सद्दाम को राष्ट्रपति का अधिकार सौंपा था न ही दुनियॉ ने अमेरिका को कोई अधिकार दिया। सद्दाम जैसी ही बन्दूक की जोर पर अमेरिका ने उसे हटाकर अपना शासन स्थापित कर लिया, न सद्दाम का तरीका पजातांत्रिक था नहीं अमेरिका का।

पिछले साठ वर्षो से दुनियॉ में दो विचारों के बीच शीतयुद्ध चल रहा था। 1.साम्यवाद, 2. पूंजीवाद। इस ध्रुवीकरण में भारत थोड़ा सा साम्यवादी पक्ष की ओर झूका हुआ था। अनेक देश अमेरिका से अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करने के उद्दश्य से यदा कदा रूस के पक्ष में कुछ बोल दिया करते थे। ऐसा करने वालों में मुस्लिम राष्ट्र सबसे आगे थे। साम्यवाद के पराजित होने के बाद अब सम्पूर्ण विश्व परिदृष्य बदल गया है। अब विश्व में ध्रुवीकरण प्रजातंत्र विरूद्ध तानाशाही का होने जा रहा है। दुनियॉ के लगभग सभी मुस्लिम राष्ट्रा में पूर्ण या अर्ध तानाशाही शासन स्थापित है। अतः वर्तमान ध्रुवीकरण इस्लाम और अमेरिका क बीच शुरू हो रहा है। जिसकी शुरूआत इराक से हुई है ओर धीरे–धीरे अमेरिकन भेजा और देशों पर पड़ेगा। दुनियॉ के सभी देश अमेरिका के किसी भी देश की तानाशाही का समर्थन बिलकुल ही उचित नहीं है । इस मामले में फ्रान्स ओर जर्मनी का सोच लगभग ठीक था। यद्यपि वे प्रारंभ में और खुलकर सद्दाम का विरोध करते तो अच्छा होता । भारत को इस संपूर्ण युद्ध को दो दादाओं के बीच की लड़ाई मानकर तटस्थ भूमिका अपनानी चाहिये थी, किन्तु भारत अन्त–अन्त में प्रस्ताव पास करके फिसल गया।

अमेरिका ने इराक से जो युद्ध किया वह संयुक्त राष्ट्र की सहमति के बिना नहीं करना चाहिये था। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस युद्ध को टालने मे उचित निर्णय लेने में विफल रहा। संयुक्त को पंच की अपेक्षा निर्णायक की भूमिका शुरू करते हुए अपने अब तक के स्वरूप में बदलाव करना चाहिये था और प्रस्ताव पारित करके सद्दाम को इराक की गद्दी छोड़कर चले जाने का आदेश देना चाहिये था। यह आदेश यद्यपि नियम विरूद्ध होता किन्तु इस आदेश से अन्य देशों में भी तख्ता पलट की सोच को धक्का लगता और संयुक्त राष्ट्र एक विश्व सरकार की दिशा में कुछ आगे बढ़ता। किन्तु संयुक्त राष्ट्र चूक गया और वह स्वयं मजबूती की दिशा में न जाकर कमजोर हो गया। दूसरी ओर अमेरिकी दादागिरी कुछ ओर मजबूत हो गई। आज सारा विश्व उसी तरह इराक के लोग सद्दाम काल में लाचार थे और पाकिस्तान के लोग मुसर्रफ काल में हैं। किसी देश में कोई व्यक्ति बन्दूक के बल पर आम नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दे और पूरी दुनियॉ उसका कुछ न करें यह अब तक चल रहा है किन्तु अब नहीं चलना चाहिये। अब भी समय है कि अमेरिका की दादागिरी को रोकने के उद्दश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में तानाशाही को प्रजातंत्र में बदलने का अल्टोमेटम दे ओर प्रजातंत्र का चाहे जो Model बने उसकी उस देश को छूट हो किन्तु किसी भी Model में मूल अधिकारों की सुरक्षा अवश्य हो। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अब भी हिम्मत करे तो शायद अमेरिकी दादागिरी कुछ रूक सकती है।

इराक की लड़ाई में बड़ी मात्रा में लोग मरे ओर सद्दाम को सत्ता भी गई। अमेरिका को मानवता वादी रूख लेना था और नहीं लिया, तो सद्दाम ने इराक की जनता की सुरक्षा के लिये क्या किया? क्या सद्दाम नहीं जानता था कि उसकी सेना बहुत कमजोर है और काफी नागरिक मरेंगे। बगदाद पतन के चार घंटे पूर्व तक सद्दाम के रक्षा मंत्री का मूर्खतापूर्ण बयान प्रसारित हुआ था कि बगदाद के लोग चिन्ता न करें। हमारे पास ऐसी व्यवस्था है कि अमेरिकी सैनिक एकाएक अपने ही टैंको में जल जायेंगे। क्या सिर्फ एसी लफ्फाजी से युद्ध लड़ा जाता है? क्या सद्दाम को ऐसा लग रहा था कि झूठे वाक्यों से अमेरिका पीछे हट जायेगा? इसके पूर्व भी भारत पाक युद्ध के समय परास्त होने के ठीक पहले या हया खां ने कहा था कि हम सौ वर्ष तक लड़ेंगे। इराक

युद्ध में बड़ी बड़ी डींग हॉकने वाले सद्दाम आखिर छिपकर जान बचाने के लिये कहीं भागने पर सहमत हुए। इससे तो अच्छा होता कि यदि युद्ध के पूर्व ही समझ जाते तो इराकियों की जान बच जाती, युद्ध टल जाता और अमेरिका की एकपक्षीय दादागिरी पर तस्वीर आज की अपेक्षा भिन्न होती। यदि सद्दाम की जगह मैं होता तो अकस्मात् राष्ट्र संघ के अन्दर जाकर बैठ जाता और कहता कि मैं इराकियों की तबाही की अपेक्षा अपनी तबाही स्वीकार करता हूँ। अब मैं यहीं बैठा रहूँगा, अमेरिका चाहे तो मुझे गोली मार दे या गिरफ्तार कर ले। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय में मेरे साथ चाहे जो व्यवहार करे किन्तु इराक पर आक्रमण न करे। मैं इराक के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। संभव है कि उसके इतना कहने के बाद की तस्वीर आज से कुछ न कुछ भिन्न होती। सद्दाम की सत्ता तो चली जाती किन्तु अमेरिका का न तो इतना मनोबल बढ़ता न ही इराक की तबाही होती। मेरे विचार मे सद्दाम एक अय्याश, लुटेरा और कायर तानाशाह था जो स्वयं तो पराजित हुआ ही, दुनियॉ पर अमेरिकी तलवार और लटका गया।

अर्पित अनाम को सम्मान

लोक स्वराज्य मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्पित अनाम, अम्बाला, हरियाणा को कोटा राजस्थान में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय ज्योतिष, महासम्मेलन में गोल्ड मेडल तथा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। ज्ञान तत्व परिवार उनके इस सम्मान के लिये अपनी ओर से उन्हें बधाई देता है।

ज्ञान तत्व की ग्राहक सूची :–

8 श्री रामकृष्ण पौराणिक, सागर, म.प्र. पुनः नये वर्ष में।
41. श्री पाल सुगम भिवानी, हरियाणा।
42. श्री राजेन्दु कुमार तिवारी भारतीय, इन्दौर म.प्र.।
43. श्री सरज् प्रसाद श्रीवास्तव, शंकरगढ़, सरगुजा।
44. श्री हुकुमचन्द अग्रवाल, शंकरगढ़, सरगुजा।
45. श्री विजय लक्ष्मी साव दूर्ग, छत्तीसगढ़ ।
46. श्री बालसोम गौतम, बस्ती, उत्तर प्रदेश।
47. श्री पूर्णचन्द बड़ाला, पूना, महाराष्ट्र।
48. श्री ओम प्रकाश झुनझुनवाला, राजस्थान।
द्वारा तीन लोगों के लिये एक सौ पचास रूपया।
49 श्री डा. प्रसाद निष्काम, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
50 श्री श्यामानारायण जी विजयवर्गीय, गुना, म.प्र.

सवाग्राम का संदेश
बजरंगलाल

छब्बीस से उन्तीस मार्च तक सेवाग्राम वर्धा में बैठकर समाज की वर्तमान स्थिति पर गंभीर विचार मंथन हुआ। विचार मंथन इतना गंभीर स्वरूप में था कि वह शिविर सरीखा दिखने लगा। प्रतिदिन एक घंटा भोजन छोड़कर बारह घंटे विचार होता रहा। लोक स्वराज्य मंच का यह प्रथम वैचारिक सम्मेलन था। सम्मेलन में कइ निष्कर्ष निकले या चर्चाऍ हुई। वर्तमान परिस्थितियों का आकलन के आधार पर सामान्यकाल या आपत्तिकाल का निर्धारण करने के बाद ही कार्य की दिशा तय करनी चाहिये। जो लोग सामान्य काल में आपत्तिकाल के अनुरूप कार्य प्रणाली तय करते हैं वे गलत हैं यह सच है किन्तु आपत्तिकाल में सामान्यकाल की तरह काय प्रणाली उससे भी अधिक गलत है।

सेवाग्राम सम्मेलन का पहला संदश यह है कि भारत की वर्तमान परिस्थितियॉ पूरी तरह आपातकाल की घोषणा के लिये अनुरूप है। क्योंकि–

(क)सम्पूर्ण भारत में ग्यारह समस्याऍ लगातार बढ़ रही हैं–**1.**चोरी, डकैती **2.** बलात्कार **3.**मिलावट कमतौल **4.**जालसाजी, धोखाधड़ी **5.**आतंकवाद, गुण्डागर्दी, दादागिरी **6.**भ्रष्टाचार **7.**चरित्रपतन **8.**साम्प्रदायिकता **9.**जातिवाद **10.**आर्थिक असमानता **11.**श्रम शोषण। स्वतंत्रता के बाद इन ग्यारह समस्याओं में लगातार वृद्धि हुई है।

(ख)शासन व्यवस्था पूरी तरह इन समस्याओं को रोकने के प्रति गंभीर नहीं हैं। शासन पूरी तरह या तो विकास कार्यो में सक्रिय है अथवा अन्य ऐसे काया में जो सुरक्षा और न्याय से जुड़े नहीं हैं। शासन के पास इन समस्याओं के निराकरण के लिये भविष्य की भी काई योजना नहीं है।

(ग)समाज व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई है। समाज का स्वरूप इतना कमजोर हुआ है कि शासन ही समाज दिखने लगा है, न तो समाज का कोई स्वरूप दिखता है न शक्ति। शासन समाज का Manager व्यवस्थापक न होकर संरक्षक Custodian बन गया है।

(घ)समाज में न्याय के स्थान पर अपनत्व की भावना प्रबल हो रही है। अच्छे–अच्छे लोग भी निष्पक्ष नहीं रह गये हैं।

(च)संस्थाऍ Institution कर्त्तव्य प्रधान होती हैं, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं जबकि संगठन अधिकार प्रधान होते हैं समाज में आवश्यकताऍ पैदा करते हैं। व्यवसाय की विफलता समाज में छीना झपटी का वातावरण बनने का मुख्य कारण होता है और संगठनों का निर्माण उसका आधार। वर्तमान समय में संस्थाओं का स्थान संगठनों न ग्रहण कर लिया है। नित नये नये संगठन बन रहे हैं।

(छ)चिन्तन गौण हो गया है और सक्रियता ह वे दिशाहीन दौड़ लगा रहे है। अनेक लोग इस परिणाम शून्य सक्रियता में इतने अधिकार व्यस्त हैं कि उनमें से कई तो सेवाग्राम के समीक्षा शिविर में इसलिये नहीं आ सके कि वे बहुत व्यस्त थे। भिन्न विचारों के बीच विचार मंथन की प्रक्रिया समाप्त हो गई हैं। समान विचार के लोग महिनों बैठकर चर्चा करते है।

(ज)समाज में अहिंसा कायरता का पर्याय बन गई हैं। स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी अहिंसा क प्रतिरोध के पक्षधर थे, पलायन के नही। स्वामी जी ने प्रतिरोध के लिये शास्त्रार्थ का सहारा लिया ओर गांधी जी ने जनमत जागरण का। सामान्य लोग तो पूरी तरह कायर और निष्क्रिय हो ही गये हैं किन्तु विशेष लोग स्वामीदयानन्द और महात्मा गांधी के नाम पर प्रतिरोध का नाटक करते हैं। अपने शहर के नामी गुण्डे का नाम तक न लेने वाले समाज प्रमुख पाकिस्तान या अमेरिका के राष्ट्रपति के विरूद्ध रैली निकालते हैं। आज भारत के हर गॉव तक की यह स्थिति है कि आम लोगों का स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी की अहिंसा की सफलता पर से विश्वास उठ गया है और सफलता का सर्वश्रेष्ठ आधार हिंसा आर बल प्रयोग को माना जा रहा है।

(झ)विचार प्रधान लोग पीछे कर दिये गये है। समाज का नेतृत्व या तो ऐसे धूर्तो के हाथ में है जो भावना प्रधान लोगों के शोषण में लगे हुए हैं या ऐसे भावना प्रधान लोगों के हाथ में नेतृत्व है जो न परिस्थितियों का ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं न ही प्राथमिकताएँ तय कर पाते ह।

उपरोक्त परिस्थितियों क आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बीमारी शरीर के किसी अंग की नहीं बल्कि खून की सफाई से ही ठीक हो सकेगी। अतः सम्पूर्ण भारत में सामाजिक आपातकाल स्वीकार करके आपातकालीन सुधार योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है।

सेवाग्राम सम्मेलन का दूसरा और महत्वपूण संदेश यह है कि शराफत को समझदारो में बदलने की बहुत आवश्यकता है। सम्पूण व्यवस्था विशेषकर राजनैतिक व्यवस्था धूर्तो के नेत्त्व में है दूसरी ओर समाज के अच्छे लोक चरित्र निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दे रहें है। स्वाभाविक ही है कि हमारे चरित्र निर्माण के प्रयत्न वर्तमान व्यवस्था में किसी भी रूप में बाधक न होकर अप्रत्यक्ष रूप से सहायक ही हो रहे हैं। अतः सम्पूर्ण कार्य प्रणाली में परिवर्तन की इस तरह आवश्यकता है कि वर्तमान व्यवस्था की शक्ति कमजोर हो। एक बार पुनः सम्पूर्ण क्रान्ति की आवश्यकता है।

सेवाग्राम सम्मेलन का तीसरा और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि लोकतंत्र के विकल्प के रूप में लोक स्वराज्य प्रणाली को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। हमारे महापुरूषों ने भी लोकतंत्र को एक आवश्यक बुराई माना था। विनोबा जी ने भी तानाशाही को एक व्यक्ति का शासन, साम्यवाद को ग्रुप शासन, लोकतंत्र को बहुमत शासन और लोक स्वराज्य को स्वशासन मानकर इसी क्रम से आदर्श माना था। वर्तमान समस्याएँ लोकतंत्र के दुष्परिणाम हैं जो लोकतंत्र में संशोधन से दूर नहीं होंगी क्योंकि सारे संशोधनों के बाद भी बुराइयॉ बढ़ी ही है। अतः सम्पूर्ण विश्व में लोकतंत्र में विकल्प के रूप में लोक स्वराज्य प्रणाली प्रस्तुत हो जिसकी शुरूआत भारत से हो। लोक स्वराज्य का अर्थ है कि शासन सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त सारे दायित्व स्थानीय इकाईयों पर छोड़ दे। सुरक्षा और न्याय में भी यदि शासन का हस्तक्षेप कम हो सके तो अच्छी बात है किन्तु सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त शासन कोई हस्तक्षेप न करे। हमें भी यह महसूस होना चाहिये कि सुरक्षा और न्याय क अतिरिक्त शासन से किसी तरह की मॉग करना सामाजिक आत्म हत्या के समान घातक है।

सेवाग्राम सम्मेलन का चौथा और अंतिम संदेश यह है कि यह कार्य पूरी तरह जनमत जागरण के माध्यम से ही होना चाहिये। किसी भी तरह से हिंसा या असंवैधानिक माध्यमों का सहारा न लिया जाय।

यह कार्य असंभव नहीं। स्वतंत्रता संघर्ष में हम शारीरिक रूप से भी गुलाम थे और मानसिक रूप से भो। किन्तु आज हम सिर्फ मानसिक रूप से ही गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं। यदि महात्मा गांधी के नेत्त्व और आर्य समाज वालों की सक्रियता उस समय सफल हो सकती थीं तो आज कोई कारण नहीं कि स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी की विरासत एक साथ मिलकर पांच वर्षो में यह काम पूरा न कर लें। मैं जानता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन एक कठिन कार्य है। भारत के नक्शें में अपने अस्तित्व से भी अवगत हूँ, किन्तु मैं यह भी जानता हूँ कि स्वामी दयानन्द और महात्मा गांधी के विचार अब भी जीवित हैं और पचपन वर्षो तक हमने जो प्रतीक्षा की वही कम कलंक की बात नहीं हैं। आर्य समाज रामानुजगंज ने भारत के कुछ प्रमुख गांधी विचारकों के मार्ग दर्शन में रामानुजगंज शहर में सिर्फ ढ़ाई वर्षो के पयास द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि लोक स्वराज्य प्रणाली वर्तमान व्यवस्था का एक सफल और सम्पूर्ण विकल्प है। शून्य को एक करना एक को पांच करने से अधिक कठिन होता है। अतः यह कार्य बिल्कुल असंभव नहीं। हमस लोग पूरी शक्ति से इस एक सूत्रीय कार्यक्रम में लग तो जावें। सेवाग्राम में एक समयबद्ध और परिणाम मूलक योजना बनाकर काम की घोषणा हो गई है। पूरी सतर्कता से एक बिंदू पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। गीता का एक श्लोक संशोधित स्वरूप में निरंतर याद रखने की आवश्यकता है कि ''सर्व कर्मान् परित्यज्य, लोक स्वराज्यं शरणं ब्रज।''

हमें इस कार्य में कुछ विरोध भी झेलना पड़ सकता है। जो लोग सुराज्य के पक्षधर हैं, वे शासन में भी महत्वपूर्ण स्थिति में ह और सामाजिक व्यवस्था में भी। ऐसे लोगों से सीधा वैचारिक टकराव भी हो सकता है और वैचारिक बहस भी। इनमें से राजनैतिक दलों के लोग विशेष विरोध करेंगे। किन्तु हमें अपना विरोध वैचारिक बहस तक सीमित रखना चाहिये। दूसरी आर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सुराज्य के पक्षधर नहीं किन्तु भावनाओं में बहकर कुछ भी करने लगते हैं। इनका चरित्र भी ऊँचा होता है और नीयत भी ठीक है। कुछ लोग इनका उपयोग मात्र कर लेते हैं। इनसे किसी तरह की कोई बहस या विरोध उचित नहीं। यदि हम लोग मजबूती के साथ लोक स्वराज्य के विचार को रख पाये तो इनका समर्थन और सहयोग स्वाभाविक रूप से और बहुत मिलेगा। यदि घायल लक्ष्मण के लिये सुषेण वैद्य द्वारा बताई गई मामूली दवा की पहचान न हाने के कारण हनुमान पूरा पहाड़ भी उठा लाये तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया। हमें सतर्क रहना है कि राक्षस हनुमान को बीच में विलंबित न कर सके। हमारे अनेक समाज सेवी विद्वान यदि अमेरिका विरोध, नशाबंदी, स्वदेशी, छुआछूत निवारण आदि में लगे हैं उन सबमें भी कहीं न कहीं अस्पष्ट रूप से लोक स्वराज्य की भावना छिपी है। अतः हमें ऐसे कार्य में लगे मित्रों से किसी प्रकार को बहस या विरोध से बचना चाहिये। किन्तु लोक स्वराज्य मंच अपनी शक्ति इनक कार्यो में खर्च न करे। यदि हमारा कोई पदाधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य संस्था से जुड़कर ऐसा करें तो वे कर सकते हैं। किन्तु ऐसा कोई भी कार्य जो लोक स्वराज्य प्रणाली के विपरीत है अथवा जनमत जागरण से भिन्न है वह लोक स्वराज्य मंच के नाम से नहीं होना चाहिये।

सम्पूर्ण भारत में सुराज्य और स्वराज्य अथवा लोकतंत्र और लोकस्वराज्य के बीच ध्रुवीकरण की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिये पूरे देश में एक वैचारिक बहस छेड़ दीजिये। सेवाग्राम के बयालीस घंटों के विचार मंथन के टेप भी मौजूद है। उसमें से महत्वपूर्ण विचारों को लेकर एक मेरा भाषण तथा मुरारीलाल जी के गीतों का टेप साढ़े तीन से चार घंटे का बनाया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को उक्त टेप सुनाना वैचारिक बहस छिड़ने में बहुत सहायक होगा। लोक स्वराज्य मंच का साहित्य भो मंगाकर पढ़ और पढ़ा सकते हैं। एक वर्ष वैचारिक बहस के निमित्त है। आप यदि सक्रिय होंगे तो यह कार्य कठिन नहीं ओर हम सिद्ध कर देंगे कि सेवाग्राम का संदेश हमने ठीक से सुन लिया है।

नोट :–

1. टेप का लागत मूल्य करीब पंद्रह से बीस रूपये प्रति घंटा का है। आप टेप का उपयोग करने के बाद लोक स्वराज्य मंच के पदाधिकारियों को वापस करके पूरा पैसा वापस ले सकतें हैं। टेप परिवार के अन्य सदस्यों क लिये भी उपयोगी हैं।
2. आपसे निवेदन है कि इस अंक पर अपने विचार अवश्य भेंजे।

बजरंगलाल

प्रश्नोत्तर

1. 12/1/64 ज प्रश्न श्री मुनिलाल उपाध्याय, नगर बाजार, बस्ती, उत्तर प्रदेश।

आप बहुत ठीक दिशा में प्रयत्नशील हैं। अंक तिरसठ में –''यदि मैं तानाशाह होता'' शीर्षक के छब्बीसवें बिन्दु में आपने लिखा है कि किसी निर्वाचित इकाई के बीस प्रतिशत सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव के विरूद्ध वीटों का उपयोग करने पर उक्त प्रस्ताव विवादास्पद मानकर उस इकाई का गठन करने वाले लोगों के पास निर्णय हेतु जाता जाकर साधारण बहुमत से निर्णय करते। आपका उक्त प्रस्ताव अत्यन्त गंभीर और विचार करने योग्य है।

उत्तर– मैं रामानुजगंज नगर पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष हूँ। मैं इस शहर की प्रशासनिक व्यवस्था में उक्त नियम का प्रयोग किया है और बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। वर्तमान ग्राम सभा प्रणाली में प्रत्येक प्रस्ताव पर ग्राम सभा निर्णय करती है, उससे भी यह बीस प्रतिशत को वीटों अधिकार देना अधिक अच्छी और सफल प्रणाली सिद्ध हुई है।

2. 12/1/64 झ श्री एम.एस. सिंगला, बैक कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर, राजस्थान–305007।

सेवा ग्राम मे बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चाऐं हुई। कुछ बिन्दुओं पर भिन्न विचार होते हुए भी मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। निम्न मुद्दों पर और व्यापक चर्चा की आवश्यकता है।

1. पुराने समय में भारत की भाषा पाली थी। शासन आम नागरिकों की बात पाली भाषा में हो समझता था। मुसलमान आये तो शासन अरबी या फारसी में समझने लगा तो लोगों को अपनी भाषा बदलनी पड़ी। अंग्रेज आए तो उनकी समझने की भाषा बदल गई। परिणाम स्वरूप आम लोगों का अपनी भाषा अंग्रेजी करनी पड़ी। अब प्रजातंत्र आया है। व्यावहारिका ने इस सरकार को अपनी बात समझाने के लिये हड़ताल, तोड़फोड़ और संगठन शक्ति के प्रदर्शन को ही ठीक माना क्योंकि इसी के सहारे कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया था। अब सम्पूर्ण भारत ने आदोलन और तोड़फोड़ की भाषा सीख ली है और सरकार उनकी बात तुरंत समझ जाती है जो इस भाषा में समझाते हैं।
2. गांधी जी पूरी तरह अहिंसा के पक्षधर थे किन्तु वे स्वयं हिंसा के शिकार हा गये। अहिंसा सामाजिक जीवन मूल्य होना तो संभव है किन्तु राजनैतिक जीवन मूल्य यदि अहिंसा को बना दिया गया तो अहिंसा की सन्तान रूप में आतंकवाद ही पनपेगा।
3. लोक स्वराज्य मंच की सेवाग्राम बठक से ऐसा लगा कि मंच, संस्था का स्वरूप ग्रहण न करके आपके बल बूते पर चल रहा है। एक व्यक्ति से कोइ परिवर्तन आना संभव नहीं। इससे तो धीरे–धीरे ह्रास ही होता है। अतः मंच के माध्यम से भारत में निर्णायक परिवर्तन का उद्दश्य पूरा करना हो तो मच की सदस्यता में वृद्धि आवश्यक ह।
4. लोक स्वराज्य मंच की सदस्यता का कोई न कोई वार्षिक शुल्क अवश्य होना चाहिये।
5. आपके प्रस्तावित संविधान में कइ खामियॉ हैं – **क.** प्रस्तावित संविधान में धाराऍं शब्द हैं जो अनुच्छेद होना चाहिये। **ख.** संविधान में दण्ड विधान नहीं होता, सिर्फ निकाय की कार्य शैली हाती है। **ग.** संविधान की भाषा कसी हुई होनी चाहिए।

उत्तर– **1.** समाज में तीन तरह की स्थितियॉ होती हैं –**1.** व्यवस्था **2.** अव्यवस्था **3.** कुव्यवस्था। जब व्यवस्था होती हैं वह आदर्श स्थिति हुआ करती हैं। ऐसे समय में समाज में संस्थाऍं तो हुआ करती हैं, किन्तु संगठन नहीं क्योंकि संगठन बनाना अच्छा काम नहीं माना जाता। जब समाज में कुव्यवस्था होती है तब भी संगठन नहीं बनते क्योंकि उस समय संगठन बनाना संभव ही नहीं रहता, किन्तु जब समाज में अव्यवस्था होती है तब पूरी तरह छोना झपटी का वातावरण बन जाता है। ऐसे समय में समाज मे संगठनों की बाढ़ आया करती है। संगठनों का चरित्र ही ऐसा है कि वे सुरक्षा के लिये बनते हैं, किन्तु असंगठितों का शोषण करते हैं, क्योंकि यदि शोषण न करना हो तो संगठन चल ही नहीं पायेगा। एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो कमजोरों के शाषण में सफलता पूर्वक न लगा हो। गिरोह और संगठन में बहुत फर्क है, गिरोह अपराध के लिए बनते हैं और संगठन शोषण के लिये। गिरोह बल प्रयोग का सहारा लेते हैं और संगठन हड़ताल आदि प्रजातांत्रिक आंदोलनों का।

2. मै आपके इस निष्कर्ष से सहमत हूँ। किन्तु गॉधी हत्या में गोडसे के चरित्र में अहिंसा की कोई भूमिका नहीं थी। गांधी हत्या पूरी तरह एक कायर व्यक्ति के साम्प्रदायिक सोच का परिणाम थी। जब भी कोई धर्म सम्प्रदाय का स्वरूप ग्रहण करने लगता है तो वह तर्क से उत्तर नहीं दे पाता ओर झुंझला जाता है। कुछ व्यक्तिया के व्यक्तिगत सोच को छोड़कर शेष पूरा का पूरा इस्लाम संगठन के चरित्र का ही है किन्तु हिन्दू धर्म का चरित्र इसके ठीक विपरीत रहा है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने हिन्दू धर्म को भी साम्प्रदायिक चरित्र में ढ़ालने का प्रयास किया जिसने प्रारंभ मे ही महात्मा गांधी की बलि ले ली।
3. आपने जो आशंका व्यक्त की है वह सही है किन्तु सेवाग्राम का सम्मेलन पहला सम्मेलन है। हम आपकी चिन्ता को समझते हैं और सतर्क भी हैं। आप सबका सेवाग्राम सहित लगातार जैसा सकिय सहयोग मिल रहा है उससे ऐसी शंका नहीं रहेगी।
4. लोक स्वराज्य मंच की सदस्यता का शुल्क तो है किन्तु वह निश्चित न होकर सदस्य की स्थिति और इच्छा पर रखा गया है। संस्था का स्वरूप बन जाने के बाद और विचार करेंगे।